

प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882

(1882 का अधिनियम संख्यांक 15)¹

[17 मार्च, 1882]

प्रेसिडेन्सी नगरों में स्थापित लघुवाद न्यायालयों से सम्बन्धित
विधि के समेकन और संशोधन के लिए
अधिनियम

उद्देशिका—यतः कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई शहरों में स्थापित न्यायालयों से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करना समीचीन है ;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 है ; और यह सन् 1882 की जुलाई के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा ।

किन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात सेना अधिनियम² (44 और 45 विक्टोरिया अध्याय 58) की धारा 151 के उपबन्धों को, या उस तारीख के पहले पारित डिक्ली के अधीन किसी व्यक्ति के अधिकारों या दायित्वों को प्रभारित नहीं करेगी ।

2. [अधिनियमितियों का निरसन]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

3. [अधिनियमों का संशोधन]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

4. “लघुवाद न्यायालय” की परिभाषा—इस अधिनियम में “लघुवाद न्यायालय” से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, कलकत्ता, मद्रास या मुम्बई शहरों में गठित लघुवाद न्यायालय अभिप्रेत है, ³[और “रजिस्ट्रार” के अन्तर्गत उपरजिस्ट्रार भी है] ।

अध्याय 2

न्यायालय का गठन और उसके अधिकारी

5. लघुवाद न्यायालयों की स्थापना—कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई शहरों में से प्रत्येक में एक न्यायालय होगा, जो, यथास्थिति, कलकत्ता, मद्रास या मुम्बई लघुवाद न्यायालय कहलाएगा ।

6. न्यायालय का उच्च न्यायालय के अधीक्षण आदि के अधीन समझा जाना—लघुवाद न्यायालय, सन् 1865 के दिसम्बर के 28वें दिन के दिनांकित, आगे उल्लिखित उच्च न्यायालयों के भिन्न-भिन्न लैटर्स पेटेण्ट के अर्थान्तर्गत और सिविल प्रक्रिया संहिता (1882 का 14)⁴ के अर्थान्तर्गत, यथास्थिति, फोर्ट विलियम, मद्रास या मुम्बई के उच्च न्यायालय के अधीन समझा जाएगा ⁵[और विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 (1879 का 18) की धारा 6 के अर्थान्तर्गत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय समझा जाएगा, और लघुवाद न्यायालय के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय को वही शक्तियां होंगी जो उसकी अपीली अधिकारिता के अधीन न्यायालयों के सम्बन्ध में 24 और 25 विक्टोरिया के अध्याय 104 की धारा 15 के अधीन हैं ।

7. न्यायाधीशों की नियुक्ति—समय-समय पर लघुवाद न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और इतने अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे जितने राज्य सरकार ठीक समझे ।]

¹ प्रवर समिति की पहली रिपोर्ट के लिए देखिए, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) 1881, भाग 5, पृ० 381; प्रवर समिति की और रिपोर्ट के लिए देखिए, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) 1882, भाग 5, पृ० 3; परिषद् की कार्यवाहियों के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) अनुपूरक, 1880, पृ० 1394 और 1433; भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) 1882, अनुपूरक, पृ० 204 ; भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) 1882, अतिरिक्त अनुपूरक, पृ० 43 ।

इस अधिनियम को स्थानीय रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया—

1922 के बंगाल अधिनियम सं० 4 और 1932 के बंगाल अधिनियम सं० 20 द्वारा, 1933 के मुम्बई अधिनियम सं० 5 और 1916 के मद्रास अधिनियम 5 द्वारा ; 1922 के मद्रास अधिनियम सं० 3 तथा 1927 के मद्रास अधिनियम सं० 3 द्वारा 1959 के मुम्बई अधिनियम सं० 11 मुम्बई में, 1960 के मद्रास अधिनियम सं० 9 द्वारा मद्रास में ; 1961 के गुजरात अधिनियम सं० 19 द्वारा गुजरात शहर पर लागू करने के लिए, 1961 के महाराष्ट्र अधिनियम सं० 35 और 1976 के महाराष्ट्र अधिनियम सं० 19 द्वारा महाराष्ट्र में ; 1969 के पश्चिम बंगाल अधिनियम सं० 32 द्वारा पश्चिम बंगाल में, 1973 के गुजरात अधिनियम सं० 28 और 1973 के गुजरात अधिनियम सं० 31 द्वारा गुजरात में ।

² 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “1881” अंक निरसित ।

³ 1899 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।

⁴ अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) देखिए ।

⁵ 1895 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁶ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित ।

8. न्यायाधीशों की पंक्ति और अग्रता—मुख्य न्यायाधीश पंक्ति और अग्रता में न्यायाधीशों में प्रथम होगा।

अन्य न्यायाधीशों की वह पंक्ति और अग्रता होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार निदेशित करे।

¹[8क. अनुपस्थित न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन—(1) उक्त न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, या उस कालावधि में जिसमें कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का कार्य कर रहा है, राज्य सरकार, किसी व्यक्ति को, जिसकी 2[अपेक्षित अर्हताएं] हैं, उक्त न्यायालय का, यथास्थिति, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

(2) इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उक्त न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तब तक प्राधिकृत होगा जब तक कि अनुपस्थित मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाला न्यायाधीश वापस नहीं आता है या जब तक राज्य सरकार को, यथास्थिति, ऐसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की नियुक्ति को रद्द करने का कारण नहीं दिखाई देता है।]

³[9. लघुवाद न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया—(1) उच्च न्यायालय, समय-समय पर विधि का बल रखने वाले नियमों द्वारा,—

(क) या तो सन् 1894 के दिसम्बर के 31वें दिन या उसके पूर्व इस अधिनियम में या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में या उसके अधीन लघुवाद न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के बारे में विहित किए गए उपबंधों के अधिक्रमण में या उनके अतिरिक्त लघुवाद न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और अनुपालन की जाने वाली पद्धति को विहित कर सकता है; और

⁴[(कक) रजिस्ट्रार को अप्रतिवादित वादों और अन्तर्वर्ती आवेदनों या मामलों को सुनने और निपटाने के लिए सशक्त कर सकता है; और]

(ख) ऐसे नियम या नियमों को रद्द कर सकता है या उनमें फेरफार कर सकता है।

इस धारा के अधीन बनाए गए नियम अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा लघुवाद न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का लघुवाद न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग के लिए उपबन्ध कर सकते हैं।

(2) दिसम्बर, 1894 के इकतीसवें दिन लघुवाद न्यायालय में प्रवृत्त या प्रवृत्त समझी जाने वाली प्रक्रिया या पद्धति की बाबत विधि और तद्धीन बनाए गए या जिसका बनाया जाना तात्पर्यित है ऐसे नियम और घोषणाएं तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक वे इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा रद्द या परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं।]

10. मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायालय के कार्य का वितरण—ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायाधीश, समय-समय पर न्यायालय के कार्यों का न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों में वितरण करने के लिए ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जो वह ठीक समझे।

11. मतभेद की दशा में प्रक्रिया—इसके पश्चात् जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, जब दो या अधिक न्यायाधीश जो एक साथ बैठते हैं किसी प्रश्न पर भिन्न मत रखते हैं तब, बहुसंख्या की राय अभिभावी होगी; और, यदि न्यायालय समान रूप से विभाजित है तो, मुख्य न्यायाधीश का, यदि वह इस प्रकार मतभेद रखने वाले न्यायाधीशों में से एक है, या, उसकी अनुपस्थिति में इस प्रकार मतभेद रखने वाले न्यायाधीशों में पंक्ति और अग्रता में प्रथम न्यायाधीश का निर्णायक मत होगा।

12. प्रयोग की जाने वाली मुद्रा—लघुवाद न्यायालय ऐसे प्ररूप और लम्बाई-चौड़ाई की मुद्रा का उपयोग करेगा जो तत्समय राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

⁵[13. रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति—न्यायालय का रजिस्ट्रार कहलाने वाला एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो न्यायालय का मुख्य अनुसचिवीय अधिकारी होगा; एक उपरजिस्ट्रार और इतनी संख्या में लिपिक, बेलिफ और अन्य अनुसचिवीय अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो न्यायालय द्वारा न्याय के प्रश्न और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त और अधिरोपित शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

इस प्रकार नियुक्त रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अनुसचिवीय प्रकृति के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे जिनका, मुख्य न्यायाधीश, समय-समय पर नियम द्वारा निदेश करे।]

14. बीस रुपए से अनधिक के वादों में रजिस्ट्रार को न्यायाधीश की शक्तियों का विनिहित किया जाना—राज्य सरकार उन वादों के विचारण के लिए जिसमें विषय-वस्तु की रकम या मूल्य बीस रुपए से अधिक नहीं है इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश की

¹ 1899 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 1895 के अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ 1899 के अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा धारा 13 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

शक्ति विनिहित कर सकती है। और मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन रहते हुए, लघुवाद न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जब भी वह ठीक समझे, अपनी फाइल से रजिस्ट्रार की फाइल को कोई वाद, जिसका विचारण करने के लिए रजिस्ट्रार सक्षम है, अन्तरित कर सकता है।

[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 41 के अधीन कब्जे के लिए आवेदन वाद समझा जाएगा।]

15. न्यायाधीश या अन्य अधिकारी प्रैक्टिस या व्यापार नहीं करेंगे—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश या अन्य अधिकारी, ऐसा न्यायाधीश या अधिकारी बने रहते हुए, या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदार के रूप में, अधिवक्ता, अटर्नी, वकील, या अन्य विधि व्यवसायी के रूप में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रैक्टिस या कार्य नहीं करेगा अथवा या तो अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के भागीदार के रूप में, किसी व्यापार या वृत्ति में सम्पूक्त नहीं होगा।

इस प्रकार प्रैक्टिस करने वाले, या कार्य करने वाले या सम्पूक्त होने वाले न्यायाधीश या अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) की धारा 168 के अधीन अपराध किया है।

इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी न्यायाधीश या अधिकारी को रायल चार्टर, लैटर पेटेन्ट, 2[यूनाइटेड किंगडम की संसद् के अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या 3[राज्य अधिनियम]] के अधीन निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी का सदस्य होने से प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी।

अध्याय 3

न्यायालय द्वारा प्रशासित विधि

16. अधिनियम के अधीन वादों इत्यादि में उद्भूत होने वाले प्रश्नों का विनिश्चय उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासित विधि के अनुसार किया जाना—कार्यवाही या प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों से भिन्न सभी प्रश्नों पर जो लघुवाद न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन वादों या अन्य कार्यवाहियों में उद्भूत होते हैं उच्च न्यायालय द्वारा उसकी मामूली प्रारम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में तत्समय प्रशासित विधि के अनुसार कार्यवाही और अवधारण किया जाएगा।

अध्याय 4

वादों के सम्बन्ध में अधिकारिता

17. न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं—प्रत्येक लघुवाद न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की तत्समय स्थानीय सीमाएं होंगी।

18. वाद जिनमें न्यायालय को अधिकारिता है—धारा 19 में दिए गए अपवादों के अधीन रहते हुए, लघुवाद न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण करने की अधिकारिता होगी—

जब विषयवस्तु की रकम या मूल्य दो हजार रुपए से अधिक नहीं है, और—

(क) वादहेतुक, या तो पूर्णतः या भगतः लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर उद्भूत हुआ है, और न्यायालय की इजाजत उसके कारण लेखबद्ध करके वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व दी गई है, या

(ख) वाद के संस्थित किए जाने के समय सभी प्रतिवादी वस्तुतः और स्वेच्छया ऐसी स्थानीय सीमाओं के अन्दर निवास करते हैं, या कारबार चलाते हैं, या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं; या

(ग) वाद के संस्थित किए जाने के समय प्रतिवादियों में से कोई वस्तुतः और स्वेच्छया ऐसी स्थानीय सीमाओं के अन्दर निवास करता है, या कारबार चलाता है, या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, और वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व न्यायालय ने इजाजत दे दी है, या प्रतिवादी जो यथापूर्वोक्त रूप में नहीं रहते हैं, या कारबार नहीं चलाते हैं, या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करते हैं, ऐसे संस्थित किए जाने में उपमत् हो जाते हैं:

4[परन्तु जहां वादहेतुक यथापूर्वोक्त स्थानीय सीमाओं के अन्दर पूर्णतः उद्भूत हुआ है, और न्यायालय वाद के संस्थित किए जाने के लिए इजाजत देने से इंकार करता है, वहां वह इंकार करने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा।]

स्पष्टीकरण 1—जब किसी वाद में दावाकृत राशि का अतिशेष, दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकृत मुजरे को घटाकर दो हजार रुपए से अनधिक हो जाता है तब लघुवाद न्यायालय को ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता होगी।

¹ 1895 के अधिनियम सं० 1 की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया।

² विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग क राज्य या भाग ग राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1895 के अधिनियम सं० 1 की धारा 7 द्वारा जोड़ा गया।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी व्यक्ति का एक स्थान पर स्थायी निवास है और दूसरे स्थान पर केवल अस्थायी प्रयोजन के लिए वासा है, वहां उस स्थान पर जहां उसका अस्थायी वासा है उद्भूत होने वाले किसी वादहेतुक की बाबत यह समझा जाएगा कि वह दोनों स्थानों पर निवास करता है।

स्पष्टीकरण 3—किसी निगम या कम्पनी को [भारत] में उसके एकमात्र या प्रधान कार्यालय पर कारबार चलाने वाला समझा जाएगा, या, उस स्थान पर उद्भूत होने वाले वादहेतुक की बाबत जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है ऐसे स्थान पर समझा जाएगा।

2[18क. वादी का अधिकारिता के बाहर निवासी प्रतिवादी के विरुद्ध वाद का परित्याग कर सकना—लघुवाद न्यायालय किसी वादी को किसी वाद की जिसमें न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर या तो पूर्णतः या भागतः उद्भूत होने वाले वादहेतुक पर संयुक्त और पृथक् दायित्व अभिकथित हैं, प्रथम सुनवाई के पूर्व, किसी ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध जो ऐसी स्थानीय सीमाओं में निवास नहीं करता है या कारबार नहीं चलाता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं कर सकता है वाद का परित्याग करने के लिए और ऐसे प्रतिवादियों के विरुद्ध डिक्री के लिए वाद चलाने के लिए अनुज्ञात कर सकता है जो इस प्रकार निवास करते हैं, कारबार चलाते हैं या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं।]

19. वाद जिनमें न्यायालय को अधिकारिता नहीं है—लघुवाद न्यायालय को निम्नलिखित में अधिकारिता नहीं होगी,—

(क) राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से सम्बन्धित वाद ;

3[(ख) केन्द्रीय सरकार 4*** या राज्य सरकार द्वारा या उसके आदेश द्वारा किए गए किसी कार्य से सम्बन्धित वाद ;]

(ग) किसी न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने पद के निष्पादन में या किसी न्यायालय या ऐसे किसी न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा आदिष्ट या किए गए कार्य के सम्बन्ध में वाद ;

(घ) स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वाद ;

(ङ) स्थावर सम्पत्ति के विभाजन के लिए वाद ;

(च) स्थावर सम्पत्ति के बन्धक के पुरोबन्ध या मोचन के लिए वाद ;

(छ) स्थावर सम्पत्ति पर किसी अधिकारी या उसमें किसी हित के अवधारण के लिए वाद ;

(ज) संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन या विखण्डन के लिए वाद ;

(झ) व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए वाद ;

(ञ) लिखतों को रद्द करने या उनके परिशोधन के लिए वाद ;

(ट) न्यास के प्रवर्तन के लिए वाद ;

(ठ) साधारण औसत हानि के लिए वाद और समुद्री यानों की बीमा पालिसियों पर वाद ;

(ड) खुले समुद्र पर टक्कर के बारे में प्रतिकर के लिए वाद ;

(ढ) पेटेंट के, प्रतिलिप्यधिकार के, या व्यापार चिह्न के, अतिलंघन के लिए प्रतिकर के लिए वाद ;

(ण) भागीदारी के विघटन के लिए या भागीदारी संब्यवहारों का लेखा लेने के लिए वाद ;

(त) सम्पत्ति का लेखा लेने के लिए और न्यायालय की डिक्री के अधीन उसके सम्यक् प्रशासन के लिए वाद ;

(थ) अपमान लेख, अपमान वचन, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, जारकर्म या विवाह के वचन भंग के लिए प्रतिकर के लिए वाद ;

(द) 5*** दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन या विवाह-विच्छेद के लिए वाद ;

(ध) घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद ;

(न) आनुवंशिक पद के कब्जे के लिए वाद ;

(प) प्रभुतासम्पन्न राजाओं या शासक चीफ, या विदेशी राज्यों के राजदूत या दूतों के विरुद्ध वाद ;

¹ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग क राज्य या भाग ग राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1895 के अधिनियम सं० 1 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

³ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

⁵ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “पत्नी प्रत्युद्धरण के लिए” शब्द निरसित।

(फ) उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर वाद ;

(ब) वे वाद जिनका लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञान तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा वर्जित है।

19. वादपत्र का वापस किया जाना—जब कभी न्यायालय यह पाता है कि अधिकारिता के अभाव में वह वाद में विवाद किसी प्रश्न का अन्तिमतः अवधारण नहीं कर सकता है तो, वह कार्यवाहियों के किसी भी अनुक्रम में वादपत्र को उस प्रश्न का अवधारण करने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर सकता है। जब न्यायालय किसी वादपत्र को इस प्रकार वापस करता तो वह 2सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14) की धारा 57 के दूसरे पैरा के उपबन्धों का अनुपालन करेगा और खर्च के बारे में ऐसा आदेश देगा जो वह न्यायोचित समझे और न्यायालय भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (1877 का 15) के प्रयोजनों के लिए, अधिकारिता की त्रुटि के कारण वाद को ग्रहण करने में असमर्थ समझा जाएगा। जब इस प्रकार वापस किया गया वादपत्र वाद में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो, ऐसी फीसों के उद्ग्रहण में, जो उच्च न्यायालय की पद्धति के अनुसार सरकार को जमा की जाती है, उस वादपत्र की बाबत लघुवाद न्यायालय में संदत्त न्यायालय फीस की रकम के लिए वादी को प्रत्यय दिया जाएगा।]

20. न्यायालय अधिकारिता की धन सम्बन्धी सीमा के बाहर भी वादों का विचारण सम्मति से कर सकता है—जब किसी वाद के, जो यदि उसकी विषयवस्तु की रकम या मूल्य दो हजार रुपए से अधिक न हो तो लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय होता, पक्षकारों ने लिखित रूप में यह करार किया है कि लघुवाद न्यायालय को ऐसे वाद के विचारण की अधिकारिता होगी तो, न्यायालय को उसके विचारण की अधिकारिता होगी, यद्यपि उसकी विषयवस्तु की रकम या मूल्य दो हजार रुपए से अधिक है।

ऐसा प्रत्येक करार लघुवाद न्यायालय में फाइल किया जाएगा और इस प्रकार फाइल किए जाने पर उसके पक्षकार न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होंगे, और ऐसे वाद में उसके विनिश्चय से आवद्ध होंगे।

21. न्यायालय के अधिकारियों द्वारा और उनके विरुद्ध वाद—वे सभी वाद जिनमें लघुवाद न्यायालय का कोई अधिकारी इस रूप में पक्षकार है, उसकी आदेशिका के निष्पादन में ली गई सम्पत्ति की बाबत, या उसके आगम या मूल्य की बाबत वादों के सिवाय ³[और वे सभी वाद जिनकी विषयवस्तु की रकम या मूल्य एक हजार रुपए से अधिक है] वादी के विकल्प पर उच्च न्यायालय में संस्थित किए जा सकते हैं मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ है।

22. लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय अन्य मामलों में जब वादी उच्च न्यायालय में वाद लाता है तब खर्च—जब लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय कोई वाद, उस वाद से भिन्न जिसको धारा 21 लागू होती है, उच्च न्यायालय में संस्थित किया जाता है और यदि ऐसे वाद में वादी, संविदा पर आधारित वाद की दशा में, ⁴[एक हजार] रुपए से कम रकम या मूल्य के किसी विषय के लिए डिक्री प्राप्त करता है, और किसी अन्य वाद की दशा में तीन हजार रुपए से कम रकम या मूल्य के विषय में डिक्री प्राप्त करता है तो, वादी को कोई खर्च अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे;

और यदि ऐसे किसी वाद में वादी डिक्री अभिप्राप्त नहीं करता है तो, प्रतिवादी, अटर्नी और कक्षीकार के बीच के अपने खर्च प्राप्त करने का हकदार होगा।

पूर्वगामी नियम ऐसे वाद में लागू नहीं होंगे जिसमें वह न्यायाधीश जो विचारण करता है यह प्रमाणित करता है कि वह वाद उच्च न्यायालय में लाने के योग्य था।

अध्याय 5

वादों में प्रक्रिया

23. [सिविल प्रक्रिया संहिता के भाग का न्यायालय पर विस्तारण]—1895 के अधिनियम सं० 1 की धारा 12 द्वारा निरसित।

24. मुजरे की दशा में लिखित कथन होगा अन्यथा नहीं—⁵सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14) के भाग 3 के अधीन मुजरे की दशा के सिवाय कोई लिखित कथन नहीं लिया जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा अपेक्षित न हो।

25. साक्ष्य में ग्रहण किए गए दस्तावेज का वापस किया जाना—जब किसी वाद के विनिश्चय से आठ दिन की कालावधि नवीन विचारण के लिए या ऐसे वाद की पुनः सुनवाई के लिए कोई आवेदन किए बिना समाप्त हो गई है, या ऐसी कालावधि के अन्दर ऐसा कोई आवेदन किया गया है और ऐसा आवेदन नामंजूर किया गया है, या नवीन विचारण या पुनः सुनवाई (यथास्थिति) समाप्त हो गई है, तब कोई व्यक्ति चाहे वाद का पक्षकार हो या नहीं जो उसके द्वारा वाद में पेश की गई और अभिलेख में रखी गई दस्तावेज को वापस लेने की वांछा करता है, उसे वापस लेने का हकदार होगा, उस दशा के सिवाय जिसमें कि दस्तावेज ⁵सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14) की धारा 143 के अधीन परिवर्द्ध की गई है :

¹ 1895 के अधिनियम सं० 1 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

² अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के सुसंगत उपबंध देखिए।

³ 1895 के अधिनियम सं० 1 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 1985 के अधिनियम सं० 1 की धारा 14 द्वारा “दो हजार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)।

परन्तु कोई भी दस्तावेज ऐसी घटनाओं के पूर्व किसी भी समय ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय निदेश करे वापस की जा सकती है परन्तु यह भी कि ऐसी दस्तावेज जो डिक्री के बल से शून्य या अनुपयोगी हो गई है वापस नहीं की जाएगी।

ऐसी दस्तावेज के वापस करने पर जो साक्ष्य में ग्रहण की गई है उसको प्राप्त करने वाले पक्षकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई रसीद बही से रसीद दी जाएगी।

26. कतिपय मामलों में वादी द्वारा प्रतिवादी को संदेय प्रतिकर—किसी वाद में जिसमें प्रतिवादी उपसंजात होता है और दावे को स्वीकार नहीं करता है, और वादी अपने दावे की पूरी रकम के लिए डिक्री अभिप्राप्त नहीं करता है, लघुवाद न्यायालय अपने विवेकानुसार वादी को उसके कष्ट और उपसंजात होने के लिए तुष्टि के रूप में ऐसी राशि जो वह ठीक समझे संदाय करने के लिए आदेश दे सकता है।

जब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14) की धारा 278 के अधीन किया गया कोई दावा, या आक्षेप अननुज्ञात किया जाता है तब, लघुवाद न्यायालय अपने विवेकानुसार ऐसा दावा या आक्षेप करने वाले व्यक्ति को, डिक्रीदार को, या निर्णीतऋणी को, या दोनों को, यथापूर्वोक्त तुष्टि के रूप में, ऐसी राशि या राशियां, जैसी वह ठीक समझे, संदाय करने का आदेश दे सकता है।

और जब कोई दावा या आक्षेप अननुज्ञात किया जाता है तो न्यायालय दावेदार या आक्षेपकर्ता को नुकसानी के रूप में इतना प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकता है जो वह ठीक समझे; और ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत करने वाला या उससे इंकार करने वाला न्यायालय का आदेश कुर्की द्वारा कारित क्षति के बारे में वाद को वर्जित करेगा।

इस धारा के अधीन कोई आदेश, तद्द्वारा संदेय रकम के संदाय में व्यतिक्रम होने पर, उस व्यक्ति द्वारा जिसके पक्ष में वह किया गया है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध वह किया गया है इस प्रकार प्रवर्तित किया जा सकता है मानो वह न्यायालय की डिक्री है।

27. वारंट निष्पादन करने वाले अधिकारी के साथ डिक्रीदार का जाना—जब कभी लघुवाद न्यायालय किसी निर्णीतऋणी के गिरफ्तार किए जाने के लिए या उसकी सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए वारंट जारी करता है तो, डिक्रीदार या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति, न्यायालय के उस अधिकारी के साथ जाएगा, जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है, और ऐसे अधिकार को, यथास्थिति, निर्णीतऋणी या कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति बताएगा।

28. स्थावर सम्पत्ति के साथ संलग्न और अभिधारी द्वारा हटाई जा सकने वाली चीजों का निष्पादन में जंगम समझा जाना—जब लघुवाद न्यायालय की डिक्री के अधीन निर्णीतऋणी स्थावर सम्पत्ति का अभिधारी है तब, ऐसी सम्पत्ति के संलग्न कोई चीज जो वह उसकी अभिधृति के पर्यवसान के पूर्व भूस्वामी की अनुमति के बिना विधिपूर्णतः हटा सकता है, ऐसी डिक्री के निष्पादन के प्रयोजन के लिए¹ और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उद्भूत होने वाले सभी प्रश्नों के विनिश्चय के लिए² जंगम सम्पत्ति समझी जाएगी, और यदि ऐसे निष्पादन में बेच दी गई है तो क्रेता द्वारा अलग कर दी जाएगी, किन्तु उसके द्वारा सम्पत्ति से हटाई नहीं जाएगी तब तक कि उसने सम्पत्ति के साथ वह नहीं कर दिया है जो निर्णीतऋणी करने के लिए आवश्यक होता यदि वह उस चीज को हटा देता।

29. पर्याप्त प्रतिभूति पर निर्णीतऋणी का उन्मोचन—जब भी कोई निर्णीतऋणी, जो लघुवाद न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया है या जिसकी सम्पत्ति अभिग्रहण की गई है, उस रकम के जिसके संदाय के लिए उसे आदेश दिया गया है और खर्च के संदाय के लिए न्यायालय के समाधानपर्यन्त प्रतिभूति की प्रस्थापना करता है तब, न्यायालय उसके उन्मोचन के लिए या सम्पत्ति की निर्मुक्ति के लिए आदेश कर सकता है।

30. न्यायालय का कतिपय दशाओं में डिक्री के निष्पादन को निलम्बित कर सकना—जब कभी लघुवाद न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसकी डिक्री के अधीन कोई निर्णीतऋणी, रोग, निर्धनता या अन्य पर्याप्त कारणवश, डिक्री की रकम संदाय करने में असमर्थ है, या यदि उस न्यायालय ने उसे किस्तों में संदाय करने का आदेश दिया है, तो उसकी किस्त की रकम संदाय करने में असमर्थ है, तब वह, समय-समय पर, ऐसे समय के लिए ऐसे निबन्धनों पर, जो वह ठीक समझे, ऐसी डिक्री के निष्पादन को निलम्बित कर सकता है और ऋणी को उन्मोचित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे।

31. लघुवाद न्यायालय की डिक्री का अन्य न्यायालयों द्वारा निष्पादन—यदि लघुवाद न्यायालय की डिक्री के अधीन निर्णीतऋणी की, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर, डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त जंगम सम्पत्ति नहीं है तो न्यायालय, डिक्रीदार के आवेदन पर, निष्पादन के लिए डिक्री को—

(क) ऐसी स्थानीय सीमाओं के अन्दर स्थित स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध निष्पादन की दशा में—³[यथास्थिति, मद्रास नगर सिविल कोर्ट को या फोर्ट विलियम के या मुम्बई के उच्च न्यायालय को भेज सकता है];

(ख) अन्य सभी दशाओं में—किसी सिविल न्यायालय को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसा निर्णीतऋणी, या ऐसे निर्णीतऋणी की स्थावर या जंगम सम्पत्ति पाई जा सकती है, भेज सकता है।

¹ अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)।

² 1906 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 1892 के अधिनियम सं० 7 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

डिक्री के अन्तरण पर प्रक्रिया—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14)¹ द्वारा जिन्होंने डिक्री दी है उन न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों द्वारा डिक्री के निष्पादन के लिए विहित प्रक्रिया ऐसी दशाओं में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया होगी।

32. कतिपय दशाओं में अवयस्कों का वाद ला सकना मानो वे पूर्ण वय के हैं—इस अधिनियम द्वारा यथा लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14)¹ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, कोई अवयस्क पांच सौ रुपए से अनधिक धन की किसी राशि के लिए जो उसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) के अधीन मजदूरी या मात्रानुपाती काम या सेवक के रूप में काम करने के लिए शोध्य है, उसी रीति में वाद संस्थित कर सकेगा मानो वह पूर्ण वय का है।

33. न्यायिकेतर कर्तव्यों का प्रत्यायोजन करने की शक्ति—इस अधिनियम द्वारा यथा लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14)¹ द्वारा अपेक्षित न्यायाधीश द्वारा किए जाने वाले किसी न्यायिकेतर या न्यायिककल्प कार्य, और इस प्रकार लागू संहिता की धारा 394 के अधीन लेखों की परीक्षा और समायोजन करने के लिए नियुक्त कमिश्नर द्वारा किया जाने वाला कोई कार्य लघुवाद न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा या न्यायालय के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे न्यायालय समय-समय पर इस निमित्त नियुक्त करे, किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय, समय-समय पर, नियम द्वारा, यह घोषित कर सकता है कि इस धारा के अन्तर्गत कौन से कार्य न्यायिकेतर और न्यायिककल्प समझे जाएंगे।

34. रजिस्ट्रार का न्यायाधीश के समान वादों को सुनना और अवधारण करना—धारा 14 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा संज्ञेय वाद उसके द्वारा सभी बातों में उसी प्रकार से सुने और अवधारित किए जाएंगे जैसे वे न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा सुने और अवधारित किए जाते हैं :

परन्तु, मुख्य न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जहां भी वह ठीक समझे, रजिस्ट्रार की फाइल से किसी भी वाद को अपनी फाइल पर अन्तरित कर सकता है।

35. रजिस्ट्रार का उन्हीं शक्तियों के साथ सभी डिक्रियों का निष्पादन कर सकना जैसे न्यायाधीश करता है—रजिस्ट्रार न्यायालय द्वारा पारित किसी भी मूल्य की डिक्रियों के निष्पादन के लिए आवेदन ले सकता है और निर्णीत ऋणियों को सुपुर्द कर सकता है और उनका उन्मोचन कर सकता है, और उनके बारे में कोई भी ऐसा आदेश दे सकता है जो न्यायालय का कोई न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन दे सकता है।

36. रजिस्ट्रार की डिक्रियों और आदेशों का नवीन विचारण हो सकना मानो वे न्यायाधीश द्वारा किए गए हैं—किसी भी वाद या कार्यवाही में रजिस्ट्रार द्वारा दी गई प्रत्येक डिक्री और किया गया प्रत्येक आदेश नवीन विचारण के बारे में उन्हीं उपबंधों के अधीन होगा मानो वह न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दी गई या किया गया है।

2[अध्याय 6

नवीन विचारण और अपील

37. लघुवाद न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों की साधारण अन्तिमता—इस अध्याय द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी वाद में लघुवाद न्यायालय की प्रत्येक डिक्री और आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा।

38. प्रतिवादित मामलों में नवीन विचारण—जहां किसी वाद में प्रतिवाद किया गया है वहां लघुवाद न्यायालय, दोनों में से किसी पक्ष के आवेदन पर, जो वाद में डिक्री या आदेश की तारीख से आठ दिन के अन्दर किया गया है [जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14)³ की धारा 522 के अधीन पारित डिक्री नहीं है], नवीन विचारण के लिए आदेश दे सकता है, या ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें वह युक्तियुक्त समझे डिक्री या आदेश को परिवर्तित कर सकता है, अपास्त कर सकता है या उलट सकता है, और अभ्यन्तरकाल में कार्यवाहियों को रोक सकता है।

स्पष्टीकरण—प्रत्येक वाद जिसमें डिक्री प्रतिवादी की सम्मति या उसके उपसंजात होने में व्यतिक्रम से अन्यथा दी जाती है प्रतिवादित समझा जाएगा।

39. कतिपय वादों को हटाकर उच्च न्यायालय में ले जाना—(1) लघुवाद न्यायालय में संस्थित किसी वाद में जिसमें विषयवस्तु की रकम या उसका मूल्य एक हजार रुपयों से अधिक है, प्रतिवादी या प्रतिवादियों में से कोई, वादी के उपसंजात होने के लिए समन द्वारा नियत दिन के पहले या उस पर समन की तामील होने के पश्चात् आठ दिन के भीतर, इनमें से जो भी कालावधि बाद में समाप्त हो, अपने प्रतिवाद में जिन तथ्यों पर वह निर्भर करता है उसका कथन करते हुए एक शपथपत्र के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस वाद को उच्च न्यायालय में हटाने के लिए आदेश के लिए एकपक्षीय आवेदन कर सकता है।

¹ अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)।

² 1895 के अधिनियम सं० 1 की धारा 13 द्वारा मूल अध्याय 6 के स्थानपर प्रतिस्थापित।

³ अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं० 5) देखिए।

1[(2) जब तक न्यायाधीश की यह राय न हो कि आवेदन केवल विलम्ब के प्रयोजन से किया गया है, आवेदक ऐसे आदेश के लिए साधिकार हकदार होगा :

परन्तु ऐसे आदेश द्वारा निदेशित हटाया जाना, जब तक न्यायाधीश अन्यथा निदेश न दे, आवेदक द्वारा आदेश में विहित युक्तियुक्त समय के अन्दर दावाकृत रकम और खर्चों के, जो उक्त वाद की बाबत उसके द्वारा वादी को संज्ञेय हो जाए, संदाय के लिए आवेदक द्वारा न्यायाधीश के समाधानप्रद प्रतिभूति देने की शर्त पर होगा ।

(3) यदि आवेदक विहित समय के अन्दर (यदि कोई हो) अपेक्षित प्रतिभूति (यदि कोई हो) पूरी करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है तो उक्त आदेश प्रभावोन्मुक्त कर दिया जाएगा और वाद लघुवाद न्यायालय में ऐसे चलेगा मानो ऐसा आदेश कभी नहीं दिया गया है ।

(4) यदि किसी मामले में, जो इस धारा के अधीन हटाकर उच्च न्यायालय में ले जाया गया है, वादी ने लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता में वाद को लाने के योग्य बनाने के लिए अपने दावे के किसी भाग का परित्याग किया है तो, वह इस प्रकार परित्यक्त अपने दावे के भाग को पुनरुज्जीवित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

40. अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन हटाए गए वादों की बाबत नियम—(1) जब अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन उच्च न्यायालय में कोई वाद हटाकर लाया गया है तो, वह उस न्यायालय में उसकी आरम्भिक अधिकारिता के प्रयोग में सुना और निपटाया जाएगा और उक्त न्यायालय को उसकी बाबत वही शक्ति और अधिकारिता होगी मानो वह ऐसे न्यायालय में मूलतः संस्थित किया गया है ।

(2) इस प्रकार यथापूर्वोक्त हटाए गए प्रत्येक वाद में धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन फाइल किया गया प्रत्येक शपथपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14)² की धारा 110 के अधीन प्रतिवादी द्वारा निविदत्त लिखित कथन माना जाएगा जब तक न्यायालय आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न करे ।

(3) इस प्रकार यथापूर्वोक्त हटाए गए प्रत्येक वाद में ऐसी फीसों के उद्ग्रहण में जो उच्च न्यायालय की पद्धति के अनुसार सरकार को जमा की जाती है उस वादपत्र की बाबत लघुवाद न्यायालय में संदत्त न्यायालय फीस की रकम के लिए वाद में प्रत्यय दिया जाएगा ।]

अध्याय 7

स्थायर सम्पत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण

41. बिना इजाजत सम्पत्ति का अधिभोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध समन—जब लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर स्थित किसी स्थावर सम्पत्ति का जिसका अत्यधिक भाटक पर वार्षिक मूल्य ³[दो] हजार रुपए से अधिक नहीं है, किसी व्यक्ति के पास अभिधारी के रूप में, या किसी अन्य व्यक्ति की अनुज्ञा से, या ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञा से, जिसके माध्यम से ऐसा व्यक्ति दावा करता है, कब्जा था,

और ऐसी अभिधृति या अनुज्ञा पर्यवसित हो गई है या वापस ले ली गई है,

और ऐसा अभिधारी या अधिभोगी या उसके अधीन या उसके समनुदेशन से धारण करने वाला कोई व्यक्ति (जिसे इसमें आगे दखलकार कहा गया है), ऐसी सम्पत्ति का ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध के अनुपालन में समर्पण करने से इंकार करता है,

तो ऐसा अन्य व्यक्ति (जिसे इसमें आगे आवेदक कहा गया है) लघुवाद न्यायालय को दखलकार के विरुद्ध उससे यह अपेक्षा करते हुए कि वह उसमें नियत दिन हेतुक दर्शित करे कि क्यों उसे सम्पत्ति का समर्पण करने के लिए बाध्य न किया जाए, आवेदन कर सकता है ।

42. समन की तामील—दखलकार पर समन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 14)² द्वारा प्रतिवादी पर समन की तामील के लिए उपबन्धित रीति में तामील किए जाएंगे ।

43. कब्जे के लिए आदेश—यदि दखलकार नियत समय पर उपसंज्ञात होकर विपरीत हेतुक दर्शित नहीं करता है तो आवेदक, यदि लघुवाद न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह धारा 4 के अधीन आवेदन करने का हकदार है तो, न्यायालय के वेलिफ को सम्बोधित उसे यह निदेश देने वाला आदेश पाने का हकदार हो जाएगा कि वह ऐसे दिन जो न्यायालय आदेश में उल्लिखित करना ठीक समझे, आवेदक को सम्पत्ति का कब्जा दे ।

स्पष्टीकरण—यदि दखलकार यह साबित करता है कि अभिधृति का सृजन या अनुज्ञा का अनुदान किसी ऐसे हक के आधार पर हुआ था जो आवेदन की तारीख के पूर्व पर्यवसित हो गया है तो, यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा के अर्थान्तर्गत हेतुक दर्शित कर दिया है ।

¹ 1906 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

² अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं० 5) देखिए ।

³ 1912 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

44. ऐसे आदेश से बेलिफ का सम्पत्ति पर प्रवेश करना और कब्जा देना। न्यायोचित होगा न्यायाधीश या अधिकारी के विरुद्ध आदेश या समन जारी करने के लिए कार्यवाहियों का वर्जन—ऐसे आदेश से बेलिफ का जिसको वह सम्बोधित है प्रातः काल छह बजे के पश्चात् और अपराह्न छह बजे के पूर्व उसमें नामित सम्पत्ति पर, ऐसे सहायकों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रवेश करना और ऐसी सम्पत्ति का आवेदक को कब्जा देना न्यायोचित होगा ; लघुवाद न्यायालय के किसी न्यायाधीश या अधिकारी के विरुद्ध जिसके द्वारा यथापूर्वोक्त कोई आदेश जारी किया गया था, या बेलिफ या किसी अन्य वादी के विरुद्ध जिसके द्वारा वह निष्पादित किया गया था, या जिसके द्वारा यथापूर्वोक्त समन तामील किया गया था, ऐसे आदेश या समन के जारी किए जाने, निष्पादन या तामील के लिए, केवल इस कारण कि आवेदक सम्पत्ति के कब्जे के लिए हकदार नहीं था कोई वाद या कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।

45. आवेदक का, यदि कब्जे का हकदार है तो, कार्यवाहियों में किसी भूल के कारण अतिचारी नहीं समझा जाना—जब यथापूर्वोक्त किसी आदेश के लिए आवेदन करने के समय आवेदक, ऐसी सम्पत्ति के कब्जे के लिए हकदार था तब, न तो वह और न उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, तद्द्वारा कब्जे को अभिप्राप्त करने की कार्यवाही के ढंग में किसी भूल, त्रुटि या अनियमितता के कारण, अतिचारी नहीं समझा जाएगा; किन्तु कोई भी व्यथित व्यक्ति किसी नुकसान के लिए जो उसने ऐसी भूल, त्रुटि या अनियमितता के कारण उठाया है प्रतिकर की वसूली के लिए वाद ला सकता है।

अधिभोगी का प्रतिकर के लिए वाद ला सकना—जब कोई ऐसा नुकसान साबित नहीं होता है तो वाद खारिज कर दिया जाएगा; और जब ऐसा नुकसान साबित कर दिया जाता है किन्तु न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिकर की रकम दस रुपए से अधिक नहीं है तो न्यायालय वादी को प्रतिकर से अधिक खर्चा अधिनिर्णीत नहीं करेगा जब तक मामले का विचारण करने वाला न्यायाधीश यह प्रमाणित न कर दे कि उसकी राय में वादी को पूरे खर्च अधिनिर्णीत किए जाने चाहिए।

46. किसी आवेदक का जो हकदार नहीं है, आदेश अभिप्राप्त करने का दायित्व—इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात इस अध्याय के अधीन किसी सम्पत्ति का कब्जा अभिप्राप्त करने वाले किसी आवेदक का तद्द्वारा अपने को व्यथित समझने वाले किसी व्यक्ति के वाद से परित्राण करने वाली नहीं समझी जाएगी, जब यथापूर्वोक्त ऐसे आदेश के लिए आवेदन करने के समय ऐसा आवेदक ऐसी सम्पत्ति के कब्जे का हकदार नहीं था।

ऐसे मामले में आदेश के लिए आवेदन अतिचार का कार्य होगा—और जब आवेदक, यथापूर्वोक्त ऐसे आदेश के लिए आवेदन करने के समय, ऐसी सम्पत्ति के कब्जे का हकदार नहीं था तब, ऐसे आदेश के लिए आवेदन, यद्यपि तद्द्वारा कोई कब्जा नहीं दिया गया है, आवेदक द्वारा दखलकार के विरुद्ध किया गया अतिचार का कार्य नहीं समझा जाएगा।

47. अधिभोगी द्वारा आवेदक के विरुद्ध वाद लाने के लिए प्रतिभूति देने पर कार्यवाहियों का रोका जाना—जब भी धारा 41 के अधीन आवेदन किए जाने पर दखलकार अपने को, दो प्रतिभूतियों के साथ, ऐसी रकम के लिए बन्धपत्र से जिसे लघुवाद न्यायालय सम्पत्ति के मूल्य का और वाद के अधिसम्भाव्य खर्च का, जो इसमें इसके ठीक पश्चात् उल्लिखित है, विचार करते हुए युक्तियुक्त समझता है, अतिचार के प्रतिकर के लिए आवेदक के विरुद्ध उच्च न्यायालय में बिना विलम्ब वाद संस्थित करने के लिए और यदि वह अभियोजन नहीं करता है उस दशा में ऐसे वाद के सभी खर्च संदाय करने के लिए या उस वाद में आवेदक के पक्ष में निर्णय दिए जाने की दशा में, अपने को बन्धपत्रित करता है तब, लघुवाद न्यायालय ऐसे आवेदन पर कार्यवाहियों को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसा वाद नहीं निपटाया जाता है।

यदि दखलकार आवेदक के विरुद्ध ऐसे वाद में डिक्री अभिप्राप्त करता है तो ऐसी डिक्री धारा 43 के अधीन दिए गए आदेश को (यदि कोई हो) अतिष्ठित करेगी।

धारा 22 में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन वादों को लागू नहीं होगी।

48. कार्यवाहियों का सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमन—इस अध्याय के अधीन सभी कार्यवाहियों में, लघुवाद न्यायालय, यथासाध्य और इसमें अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता (1882 का 14)¹ द्वारा प्रथम बार के न्यायालय के लिए विहित कार्यवाही का अनुसरण करेगा।

49. कब्जे का प्रत्युद्धरण हक के विचारण के लिए वाद को वर्जित नहीं करेगा—इस अध्याय के अधीन स्थावर सम्पत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण उच्च न्यायालय में उसके हक के विचारण के लिए वाद के संस्थित किए जाने को वर्जित नहीं करेगा।

अध्याय 8

करस्थम्

50. अध्याय का स्थानीय विस्तार। कतिपय भाटकों की व्यावृत्ति—इस अध्याय का विस्तार फोर्ट विलियम, मद्रास और मुम्बई के उच्च न्यायालयों की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रत्येक स्थान पर होगा। किन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(क) सरकार से शोध्य किसी भाटक को ;

(ख) किसी ऐसे भाटक को जो धारा 53 के अधीन उल्लिखित आवेदन के पूर्व बारह मास से अधिक शोध्य है।

¹ अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं० 5) देखिए।

[51. बेलिफ और अंकक की नियुक्ति—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए चार या अधिक व्यक्ति बेलिफ और अंकक नियुक्त किए जाएंगे।]

52. नियुक्त व्यक्तियों का लोक सेवक होना—इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ^{2***} भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

53. करस्थम् वारण्ट के लिए आवेदन—ऐसे किसी मकान या परिसर के, जिस पर इस अध्याय का विस्तार है, भाटक के बकाया का हकदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति या उसका सम्यक्तः नियत अटर्नी, लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश को, या लघुवाद न्यायालय के रजिस्ट्रार को, ऐसे वारण्ट के लिए, जो इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित है, आवेदन कर सकता है।

आवेदन इसमें संलग्न तृतीय अनुसूची में दिए गए प्ररूप में (प्ररूप क) शपथपत्र या प्रतिज्ञान से समर्थित होगा।

54. करस्थम् वारण्ट का जारी किया जाना—तदुपरि न्यायाधीश या रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से और छह दिन के अन्दर वापस किए जाने के लिए अपेक्षित ऐसे बेलिफों में से किसी को सम्बोधित उसी अनुसूची में अन्तर्विष्ट प्ररूप में (प्ररूप ख) वारण्ट जारी करेगा।

न्यायाधीश या रजिस्ट्रार स्वविवेकानुसार, ऐसे वारण्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत परीक्षा करके, वारण्ट जारी करने से इंकार कर सकता है।

55. करस्थम् का समय—इस अध्याय के अधीन प्रत्येक करस्थम् सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व किया जाएगा और किसी अन्य समय नहीं।

56. वे स्थान जो बेलिफ बलपूर्वक खोल सकता है—करस्थम् करने के लिए निर्दिष्ट बेलिफ किसी अस्तबल, उपगृह या अन्य भवन को बलपूर्वक खोल सकता है और किसी अन्य निवास गृह में भी, जिसका बाहरी दरवाजा खुला हो, प्रवेश कर सकता है और ऐसे निवास गृह में इस अध्याय के अधीन अभिग्रहण के लिए दायी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने के प्रयोजन के लिए किसी कमरे का द्वार तोड़ कर खोल सकता है :

परन्तु वह जनाना या स्त्रियों के निवास के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी कमरे में जो देश की प्रथा के अनुसार प्राइवेट समझा जाता है, प्रवेश नहीं करेगा या उसका द्वार नहीं तोड़ेगा।

57. अभिग्रहण की जा सकने वाली सम्पत्ति—उपर्युक्त वारण्ट के अनुसरण में बेलिफ वारण्ट में उल्लिखित मकान या परिसर पर पाई गई और उस व्यक्ति के स्वामित्व की जिसके विरुद्ध भाटक का दावा किया गया है (जिसे इसमें आगे ऋणी कहा गया है), जंगम सम्पत्ति का, या उसके ऐसे भाग का जो बेलिफ के निर्णय में, उक्त करस्थम् के खर्चे सहित उक्त भाटक की रकम की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, अभिग्रहण करेगा :

परन्तु बेलिफ निम्नलिखित का अभिग्रहण नहीं करेगा,—

(क) वस्तुतः उपयोग की वस्तुएं ; या

(ख) औजार और उपकरण जो उपयोग में नहीं हैं, या मकान या परिसर पर अन्य जंगम सम्पत्ति जो ऐसी रकम और खर्चे की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं ; या

(ग) ऋणी के आवश्यक पहनने के कपड़े ; या

(घ) वे माल जो विधि की अभिरक्षा में हैं।

58. परिबद्ध करस्थम्—बेलिफ, भाटक के लिए प्रभार्य गृह या परिसर में या उस पर इस प्रकार अभिग्रहण की गई सम्पत्ति को परिबद्ध कर सकता है या अन्यथा प्रतिभूत कर सकता है।

59. तालिका आशयित आंकने की और विक्रय की सूचना—धारा 57 के अधीन सम्पत्ति का अभिग्रहण करने पर बेलिफ ऐसी सम्पत्ति की तालिका बनाएगा और इसके साथ संलग्न तृतीय अनुसूची में दिए गए प्ररूप में (प्ररूप ग) ऋणी को, या उक्त गृह या परिसर में उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, सूचना देगा।

तालिका और सूचना की प्रतियों का फाइल किया जाना—बेलिफ, यथाशक्य शीघ्र, लघुवाद न्यायालय में उक्त तालिका और सूचना की प्रतियां फाइल करेगा।

60. वारण्ट के उन्मोचन या निलम्बन के लिए आवेदन—इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत किसी सम्पत्ति का अपने को स्वामी अधिकथित करने वाला ऋणी या कोई व्यक्ति, या ऐसे ऋणी या अन्य व्यक्ति का सम्यक्तः नियत अटर्नी, ऐसे अभिग्रहण से पांच दिन के अन्दर किसी भी समय, उक्त न्यायालय के किसी न्यायाधीश को वारण्ट के उन्मोचन या निलम्बन के लिए, या करस्थम् की हुई वस्तु की

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

निर्मुक्ति के लिए, आवेदन कर सकता है और ऐसा न्यायाधीश ऐसे वारण्ट का, ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें वह न्यायोचित समझे उन्मोचन या निलम्बन कर सकता है या तदनुसार ऐसी वस्तु को निर्मुक्त कर सकता है,

और उक्त न्यायालय का कोई न्यायाधीश स्वविवेकानुसार ऋणी को उससे शोध्य भाटक का संदाय करने के लिए युक्तियुक्त समय दे सकता है।

ऐसे आवेदन पर, उससे सम्बन्धित और वारण्ट के जारी करने और निष्पादन से सम्बन्धित खर्चे न्यायाधीश के विवेकाधीन होंगे, और ऐसे संदत्त किए जाएंगे जैसा वह निदेश करे।

61. परव्यक्ति द्वारा करस्थम् माल का दावा—यदि इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत किसी सम्पत्ति का या उसके सम्बन्ध में या उसके आगम या मूल्य के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऋणी नहीं है, कोई दावा किया जाता है तो, लघुवाद न्यायालय का रजिस्ट्रार, सम्पत्ति अभिग्रहण करने वाले बेलिफ के आवेदन पर, दावेदार और वारण्ट अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष बुलाते हुए समन जारी कर सकता है।

और तदुपरि कोई वाद जो ऐसे दावे के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में लाया गया हो रोका जाएगा, और ऐसे समन का जारी किया जाना और सम्पत्ति का इस प्रकार करस्थम् किया जाना, साबित हो जाने पर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश वादी को ऐसे समन के जारी किए जाने के पश्चात् ऐसे वाद में की गई सभी कार्यवाहियों का खर्चा संदाय करने का आदेश दे सकता है।

और लघुवाद न्यायालय का न्यायाधीश ऐसे दावे का न्यायनिर्णय करेगा और उसके संबंध में और कार्यवाहियों के खर्चे के बारे में पक्षकारों के मध्य ऐसा आदेश देगा जो वह ठीक समझे;

और ऐसा आदेश इस प्रकार प्रवृत्त होगा मानो वह ऐसे न्यायालय में लाए गए वाद में दिया गया आदेश है।

लघुवाद न्यायालयों में इस धारा के अधीन मामलों की प्रक्रिया, यथासाध्य, ऐसे न्यायालयों में सामान्य वाद की प्रक्रिया के अनुरूप होगी।

62. ऋणी या दावेदार को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की शक्ति—धारा 60 या धारा 61 के अधीन किसी मामले में वह न्यायाधीश जिसके द्वारा मामले की सुनवाई की गई है आवेदक या दावेदार को (यथास्थिति) नुकसानी के रूप में ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकता है जो न्यायाधीश ठीक समझे,

और इस प्रयोजन के लिए ऐसी जांच कर सकता है जो वह आवश्यक समझे ;

और ऐसे प्रतिकर को अधिनिर्णीत करने या उससे इंकार करने वाला न्यायाधीश का आदेश करस्थम् द्वारा कारित नुकसानी के लिए प्रतिकर की वसूली के लिए वाद का वर्जन करेगा।

63. एक हजार रुपए से अधिक के वादों को उच्च न्यायालय को अन्तरण करने की शक्ति—धारा 60 या धारा 61 के अधीन किसी मामले में, यदि विवादग्रस्त विषयवस्तु का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक है तो आवेदक या दावेदार वह मामला उच्च न्यायालय में अन्तरण करने के लिए आवेदन कर सकता है और उच्च न्यायालय, यह समाधान हो जाने पर कि मामला उसके द्वारा निपटाया जाना समीचीन है, यह निदेश दे सकता है कि मामला तदनुसार अन्तरित किया जाए और तदुपरि लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा उस मामले में पारित किसी आदेश को परिवर्तित या अपास्त कर सकता है, और उसमें ऐसा आदेश कर सकता है जो उच्च न्यायालय ठीक समझे।

इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन विवादग्रस्त विषयवस्तु के अभिग्रहण की तारीख से सात दिन के अन्दर किया जाएगा।

इस धारा के अधीन आवेदन मंजूर करने में, उच्च न्यायालय खर्चे के संदाय के लिए या उनके लिए प्रतिभूति देने के लिए या अन्यथा ऐसे निबन्धन अधिरोपित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

इस धारा के अधीन अन्तरित मामलों में प्रक्रिया, यथासाध्य, उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में वादों की प्रक्रिया के अनुरूप होगी और इस धारा के अधीन दिए गए आदेश इस प्रकार निष्पादित किए जा सकते हैं मानो वे ऐसी अधिकारिता के प्रयोग में दिए गए हैं, और प्रतिकर अधिनिर्णीत करने वाला या उससे इंकार करने वाला प्रत्येक आदेश उस करस्थम् से जिससे वह मामला उद्भूत हुआ है जिसमें ऐसा आदेश किया गया था, कारित नुकसानी के प्रतिकर की वसूली के लिए वाद को वर्जित करेगा।

64. आंकना। विक्रय की सूचना—लघुवाद न्यायालय के किसी न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश के अभाव में, उक्त बेलिफों में से कोई भी दो, इस अध्याय के अधीन सम्पत्ति के अभिग्रहण से पांच दिन की समाप्ति पर, इस प्रकार अभिगृहीत सम्पत्ति को आंक सकते हैं और इसके साथ संलग्न तृतीय अनुसूची में दिए गए प्ररूप में (प्ररूप घ) लिखित रूप में ऋणी की सूचना दे सकते हैं।

बेलिफ इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक सूचना की एक प्रति लघुवाद न्यायालय में फाइल करेंगे।

65. विक्रय आगमों का उपयोजन—प्रतिकूल आदेश के अभाव में, करस्थम् की हुई सम्पत्ति ऐसी सूचना में उल्लिखित तारीख को विक्रय की जाएगी और उक्त बेलिफ, आगमों का आपन होने पर, लघुवाद न्यायालय के रजिस्ट्रार को उस रकम का संदाय करेंगे ;

और ऐसी रकम सर्वप्रथम उक्त करस्थम् के खर्चे के संदाय में उपयोजित की जाएगी और तत्पश्चात् ऋण के चुकाने में, और अधिशेष, यदि कोई हो, ऋणी को वापस किया जाएगा :

परन्तु ऋणी यह निदेश दे सकता है कि विक्रय किसी अन्य रीति में किया जाएगा, किन्तु पहले तद्द्वारा हुए अतिरिक्त खर्चे के लिए प्रतिभूति देगा।

66. करस्थमों के खर्चे—इस अध्याय के अधीन किसी करस्थम् के खर्चे इसमें संलग्न तृतीय अनुसूची के भाग में (भाग ड) जैसा उल्लिखित है उसके सिवाय लिए नहीं जाएंगे या मांगे नहीं जाएंगे।

1* * * *

67. खर्चे और आगमों का लेखा—लघुवाद न्यायालय का रजिस्ट्रार एक बही रखेगा जिसमें इस अध्याय के अधीन किए गए करस्थमों पर खर्चे के रूप में प्राप्त सभी राशियां, और उक्त बेलिफों को पारिश्रमिक के रूप में संदत्त सभी राशियां और ऐसे करस्थमों की बाबत उपगत सभी आकस्मिक भार सम्यक्तः दर्ज किए जाएंगे।

वह उक्त बही में करस्थम् की हुई सम्पत्ति के विक्रय से आपन की गई और इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन भूस्वामियों को संदत्त की गई सभी राशियां दर्ज करेगा।

68. इस अध्याय के अधीन के सिवाय करस्थम् का वर्जन। अवैध करस्थम् के लिए शास्ति—भाटक के बकाया के लिए करस्थम् इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन ही उद्गृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं ;

और धारा 51 के अधीन नियुक्त बेलिफ के सिवाय ऐसा उद्ग्रहण करने वाला या उद्ग्रहण करने का प्रयास करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी कार्यवाहियों द्वारा उसने जो दायित्व उपगत किया हो उसके अतिरिक्त प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

अध्याय 9

उच्च न्यायालय को निर्देश

69. निर्देश कब अनिवार्य होंगे—(1) यदि लघुवाद न्यायालय के दो या अधिक न्यायाधीश किसी वाद में, या इस अधिनियम के अध्याय 7 के अधीन किसी कार्यवाही में, एक साथ बैठते हैं और विधि या विधि का बल रखने वाली किसी प्रथा या किसी दस्तावेज के अर्थान्वयन के, जो अर्थान्वयन गुणागुण पर प्रभाव डाल सकता है, प्रश्न पर मतभेद रखते हैं, या

यदि ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही में, जिसमें विषयवस्तु की रकम या मूल्य पांच सौ रुपए से अधिक है, ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है जिस पर न्यायालय को युक्तियुक्त संदेह है, और दोनों पक्षों में से कोई यह अपेक्षा करता है तो,

लघुवाद न्यायालय मामले के तथ्यों का और उस बात का जिस पर मतभेद है या उसका जिस पर संदेह है, कथन तैयार करेगा और उस बात पर अपनी राय के साथ ऐसे कथन को उच्च न्यायालय के लिए निर्देश करेगा ; और यह समझा जाएगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (1882 का 14)³ की धारा 619 से 621 के उपबन्ध, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, लागू होते हैं मानो ऐसा आदेश उक्त संहिता की धारा 617 के अधीन किया गया है।

(2) जब लघुवाद न्यायालय उपधारा (1) में यथाउपबन्धित उच्च न्यायालय की राय के लिए किसी प्रश्न का निर्देश करता है तो वह या तो निर्णय वाद में दिए जाने के लिए रख छोड़ेगा या ऐसी राय पर समाश्रित निर्णय देगा।]

70. ऐसे निर्देश पर उस पक्षकार द्वारा प्रतिभूति का दिया जाना जिसके विरुद्ध समाश्रित निर्णय दिया गया है—जब धारा 69 के अधीन उच्च न्यायालय की राय पर समाश्रित निर्णय दिया गया है तब वह पक्षकार जिसके विरुद्ध ऐसा निर्णय दिया गया है उच्च न्यायालय को निर्देश के खर्चे के लिए और ऐसे निर्णय की रकम के लिए तुरन्त प्रतिभूति देगा जो लघुवाद न्यायालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी :

परन्तु ऐसे निर्णय की रकम के लिए कोई प्रतिभूति उस मामले में अपेक्षित नहीं होगी जिसमें जिस न्यायाधीश ने मामले का विचारण किया है उसने ऐसी रकम को न्यायालय में संदत्त करने का आदेश दिया है, और वह तदनुसार संदत्त की गई है।

यदि कोई प्रतिभूति नहीं दी गई है तो यह समझा जाना कि पक्षकार ने निर्णय के प्रति समर्पण कर दिया है—जब तक यथापूर्वोक्त ऐसी प्रतिभूति तुरन्त नहीं दी जाती है उस पक्षकार के बारे में जिसके विरुद्ध समाश्रित निर्णय दिया गया है यह समझा जाएगा कि उसने उस निर्णय के प्रति समर्पण कर दिया है।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा दूसरे पैरा का लोप किया गया।

² 1906 के अधिनियम सं० 4 की धारा 4 द्वारा धारा 69 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं० 5) देखिए।

अध्याय 10

फीस और खर्चे

71. संस्थित करने की फीस—प्रत्येक वाद में वादपत्र पर और 1*** धारा 41 के अधीन प्रत्येक आवेदन पर :—

(क) जब विषयवस्तु की रकम या मूल्य पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है तब—ऐसी रकम या मूल्य पर रुपए में दो आने की राशि से अनधिक पर ;

(ख) जब विषयवस्तु की रकम या मूल्य पांच सौ रुपए से अधिक है तब—बासठ रुपए आठ आने की राशि, और पांच सौ रुपए से ऊपर ऐसी रकम या मूल्य के आधिक्य पर रुपए में एक आना,

फीस संदत्त की जाएगी और कोई वादपत्र या आवेदन जब तक ऐसी फीस संदत्त न की जाए, ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

धारा 20 के अधीन प्रत्येक करार के फाइल करने पर दस रुपए की अतिरिक्त फीस संदत्त की जाएगी ।

72. आदेशिकाओं के लिए फीस—जब विषयवस्तु की रकम या मूल्य इसके साथ संलग्न चतुर्थ अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक है किन्तु द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है तब उक्त अनुसूची के तृतीय और चतुर्थ स्तम्भ में विनिर्दिष्ट फीसों किसी ऐसे वाद में या इस अधिनियम के अध्याय 7 के अधीन ऐसी किसी कार्यवाही में जिससे उक्त स्तम्भ क्रमशः सम्बन्धित हैं, उस व्यक्ति द्वारा जिसकी ओर से ऐसी आदेशिकाएं जारी की जाती हैं, आदेशिकाओं के जारी करने के पूर्व संदत्त की जाएंगी ।

73. सुनवाई के पूर्व निपटारा होने पर आधी फीसों का प्रतिसंदाय—जब कभी ऐसा वाद या कार्यवाही सुनवाई के पूर्व पक्षकारों की सहमति द्वारा निपटाई जाती है तब, उस समय तक संदत्त सभी फीसों की आधी रकम लघुवाद न्यायालय द्वारा उन पक्षकारों को जिनके द्वारा वे संदत्त की गई थी प्रतिसंदाय की जाएंगी ।

74. निर्धन व्यक्तियों की फीसों और खर्चे—लघुवाद न्यायालय, जब कभी वह ठीक समझे, निर्धन व्यक्तियों द्वारा संस्थित वाद और धारा 41 के अधीन आवेदन ग्रहण और रजिस्टर कर सकता है, और ऐसे व्यक्तियों की ओर से, धारा 71 और धारा 72 में उल्लिखित फीसों के संदाय के बिना या भागतः संदाय करने पर आदेशिकाएं जारी कर सकता है ।

75. फीसों में फेरफार करने की शक्ति—राज्य सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 71 और धारा 72 के अधीन संदेय फीसों की रकम में फेरफार कर सकती है :

परन्तु ऐसी फीसों की रकम किसी भी दशा में उक्त धाराओं द्वारा विहित रकम से अधिक नहीं होगी ।

76. विधि व्यवसायियों को नियोजित करने का व्यय—लघुवाद न्यायालय में किसी पक्षकार द्वारा किसी अधिवक्ता, वकील, अटर्नी या अन्य विधि व्यवसायी को नियोजित करने में उपगत व्यय किसी ऐसे वाद में या इस अधिनियम के अध्याय 7 के अधीन किसी कार्यवाही में खर्चे के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिस वाद या कार्यवाही में विषयवस्तु की रकम या मूल्य बीस रुपए से अधिक नहीं है, जब तक न्यायालय का यह राय नहीं हो कि ऐसे विधि व्यवसायी का नियोजन उन परिस्थितियों में युक्तियुक्त था ।

77. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 3, 5 और 25 की व्यावृत्ति—इस अध्याय में अन्तर्विष्ट कोई बात न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की धारा 3, धारा 5 और धारा 25 को प्रभावित नहीं करेगी ।

अध्याय 11

अवर अनुसचिवीय अधिकारियों के अवचार

78. [अधिकारियों पर जुर्माना करने की शक्ति]—भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

79. आदेश या वारण्ट के निष्पादन में बेलिफ या अन्य अधिकारी का व्यतिक्रम—यदि लघुवाद न्यायालय का कोई लिपिक, बेलिफ या अन्य अवर अनुसचिवीय अधिकारी जो इस रीति में आदेश या वारण्ट के निष्पादन में नियोजित है, ऐसे आदेश या वारण्ट के निष्पादन करने के अवसर को उपेक्षा, मौनानुकूलता या लोप द्वारा खो देता है तो वह ऐसी उपेक्षा, मौनानुकूलता या लोप द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्ति के आवेदन पर, मुख्य न्यायाधीश के आदेश द्वारा, ऐसी राशि संदाय करने का दायी होगा, जो मुख्य न्यायाधीश की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा एतद्द्वारा उठाई गई नुकसानी की रकम के बराबर है, जो किसी भी दशा में उस राशि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए ऐसा आदेश या वारण्ट जारी किया गया था ।

80. अधिकारियों द्वारा उद्दापन या व्यतिक्रम—यदि लघुवाद न्यायालय का कोई लिपिक, बेलिफ या अन्य अवर अनुसचिवीय अधिकारी कार्रवाई करने के नाम पर कार्य करते हुए उद्दापन या उपचार के लिए, या उसके प्राधिकार के अधीन उसके द्वारा उद्गृहीत धन को सम्यक्तः संदाय न करने या लेखा न देने के लिए आरोपित किया जाता है तो न्यायालय ऐसे आरोप की जांच कर सकता है, और इस प्रकार उद्भूत धन के या यथापूर्वोक्त इस प्रकार उद्गृहीत किसी धन के और नुकसान और खर्चे के, ऐसे अधिकारी द्वारा, प्रतिसंदाय या संदाय के लिए ऐसे आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे ।

¹ 1896 के अधिनियम सं० 7 की धारा 1 द्वारा "धारा 38 या" शब्द और अंक निरसित ।

81. न्यायालय का साक्षियों को समन करने के लिए सशक्त किया जाना—इस अध्याय के अधीन आवेदनों में जांच के प्रयोजनार्थ, लघुवाद न्यायालय को साक्षियों को हाजिर कराने और उन्हें समन करने की और उनके कब्जे में जो दस्तावेज हैं उन्हें पेश करने के लिए बाध्य करने की सभी शक्तियां होंगी।

82. आदेश का प्रवर्तन—इस अध्याय के अधीन धन के संदाय या प्रतिसंदाय के लिए आदेश, तद्धीन संदेय रकम के संदाय में व्यतिक्रम होने पर, उस व्यक्ति द्वारा जिसको ऐसी रकम संदेय है इस प्रकार प्रवर्तित किया जाएगा मानो वह उसके पक्ष में लघुवाद न्यायालय की डिक्री है।

अध्याय 12

न्यायालय का अवमान

83. [अवमान के कुछ मामलों में न्यायालय की प्रक्रिया]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) द्वारा निरसित।

84. [ऐसे मामलों में अभिलेख]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) द्वारा निरसित।

85. [जहां न्यायालय समझता है कि मामला धारा 83 के अंतर्गत नहीं निपटाया जाना चाहिए, वहां प्रक्रिया]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) द्वारा निरसित।

86. [समर्पण या माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) द्वारा निरसित।

87. उत्तर देने या दस्तावेज को पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी—यदि लघुवाद न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी ऐसे प्रश्न का जो उससे किया जाए उत्तर देने से, या उसके कब्जे या शक्ति में की किसी दस्तावेज को जिसे पेश करने की न्यायालय उससे अपेक्षा करता है, पेश करने से इंकार करता है, और ऐसे इंकार करने के लिए कोई युक्तियुक्त कारण नहीं देता है तो, न्यायालय उसे सादे कारावास से दण्डित कर सकता है या सात दिन से अनधिक अवधि के लिए न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है, जब तक कि अभ्यन्तर काल में, ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या ऐसे दस्तावेज को पेश करने के लिए सहमत न हो जाए, जिसके पश्चात्, उसके बराबर इंकार करने की दशा में, उसके साथ ¹[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)² की धारा 480 या धारा 482] के उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है।

88. धारा 87 के अधीन आदेशों से अपील—कोई व्यक्ति जो अपने को ³*** धारा 87 के अधीन किसी आदेश से व्यथित समझता है, उच्च न्यायालय से अपील कर सकता है, और ¹[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)]² में अपीलों से संबंधित उपबंध यावत्शक्य, इस धारा के अधीन अपीलों को लागू होंगे।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

89. आदेशिकाएं, तामील करने वाले व्यक्ति—दस्तावेज पेश करने की सूचनाएं, साक्षियों को समन और इस अधिनियम द्वारा लघुवाद न्यायालय को प्रदत्त किसी अधिकारिता के प्रयोग में जारी की गई अन्य सभी आदेशिकाएं, प्रतिवादियों को समन और निष्पादन की रिटों के सिवाय, यदि न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा तामील की जाएंगी जो न्यायालय, समय-समय पर, इस निमित्त नियुक्त करे।

90. रजिस्टर और विवरणियां—लघुवाद न्यायालय ऐसे रजिस्टर, बहियां और लेखे रखेगा, और उच्च न्यायालय को ऐसे कथन और विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाएं।

91. न्यायालय, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा मांगे गए अभिलेख आदि देगा—लघुवाद न्यायालय ऐसी अपेक्षाओं का जो, समय-समय पर, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख, विवरणियों और कथनों के लिए की जाएं ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में अनुपालन करेगा जो, यथास्थिति, ऐसी सरकार या न्यायालय ठीक समझे।

92. अवकाश और प्रावकाश—प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ पर, लघुवाद न्यायालय, न्यायालय द्वारा माने जाने वाले अवकाशों और प्रावकाशों की सूची बनाएगा और राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ उसे प्रस्तुत करेगा।

यह सूची, इस प्रकार अनुमोदन किए जाने पर, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और उक्त अवकाश और प्रावकाश तद्नुसार माने जाएंगे।

¹ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और प्रथम अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।

² अब देखिए 1974 का अधिनियम सं० 2।

³ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा लोप किया गया।

93. न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से कतिपय लोगों को छूट—राष्ट्रपति, 1*** 2[मद्रास], 3[मुम्बई और 2पश्चिमी बंगाल] 4*** के राज्यपाल और 5*** उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति और न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय के आदेश द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जा सकेंगे ।

94. न्यायालय की डिक्री पर किसी वाद का नहीं चलना—लघुवाद न्यायालय की डिक्री पर कोई वाद नहीं चलेगा ।

95. कारावास का स्थान—लघुवाद न्यायालय द्वारा कारावासित किए जाने के लिए आदिष्ट व्यक्ति ऐसे स्थान पर कारावासित किया जा सकता है जो राज्य सरकार, समय-समय पर, इस निमित्त नियत करे ।

96. अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के लिए वाद में निविदा—यदि किसी व्यक्ति ने, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा की जाने के लिए किसी बात के लिए कोई वाद लाया गया है, वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व, वादी को पर्याप्त अभितुष्टि निविदा कर दी है तो वादी वसूल नहीं करेगा ।

97. अभियोजनों की परिसीमा—इस अधिनियम के अधीन किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए सभी अभियोजन अपराध के किए जाने के पश्चात् तीन मास के अंदर प्रारम्भ किए जाने चाहिए ।

पहली अनुसूची—[अधिनियमितियां]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

दूसरी अनुसूची—[सिविल प्रक्रिया संहिता के भाग का न्यायालय विस्तारण]—प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1895 (1895 का 1) की धारा 12 द्वारा निरसित ।

तृतीय अनुसूची

प्ररूप

क

(धारा 53 देखिए)

_____ के लघुवाद न्यायालय में क ख _____ वादी
बनाम

ग घ _____ (प्रतिवादी) क ख जो _____ शहर में
_____ का निवासी है शपथ लेता है (प्रतिज्ञान करता है) और कहता है कि ग घ जो
_____ शहर में _____ का निवासी है _____ का
_____ शहर में _____ में स्थित गृह और परिसर सं०
_____ के _____ मास के लिए शोध्य अर्थात्
_____ से _____ तक के _____ रुपए प्रतिमास की
दर से, भाटक के बकाया के लिए ऋणी है ।

मेरे समक्ष सन् 19 _____ के _____ की तारीख को शपथ ली गई
(प्रतिज्ञान किया गया) ।

न्यायाधीश (या रजिस्ट्रार)

¹ भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा कतिपय शब्द निरसित किए गए ।

² भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³ 1912 के अधिनियम सं० 7 की धारा 7 और अनुसूची 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁴ 1912 के अधिनियम सं० 7 की धारा 7 और अनुसूची 3 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

⁵ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग क राज्यों के लिए” शब्दों का लोप किया गया ।

ख

(धारा 54 देखिए)

----- के लघुवाद न्यायालय में

वारण्ट का प्ररूप

मैं एतद्द्वारा आपको ग घ की ----- शहर में ----- संख्यांक वाले गृह और परिसर की जंगम सम्पत्ति का ----- रूप की राशि के लिए और करस्थम् के खर्च के लिए, प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार करस्थम् करने का निदेश देता हूं।

सन् 19 ----- के ----- की -----
----- तारीख को दिनांकित।

(हस्ताक्षरित और मुद्रांकित)

प्रति—

च छ बेलिफ और अंकक

ग

(धारा 59 देखिए)

----- के लघुवाद न्यायालय में

तालिका और सूची का प्ररूप

(अभिगृहीत संपत्ति की विशिष्टियों का कथन करें)

सूचना ग्रहण करें कि मैंने आज उपर्युक्त तालिका में अन्तर्विष्ट जंगम संपत्ति का अभिग्रहण ----- रूप की राशि के लिए किया है जो क ख को गत ----- तक शोध्य ----- मास के भाटक की रकम है, और यदि आप इस करस्थम् के खर्च सहित वह रकम इसकी तारीख से पांच दिन के अंदर संदाय नहीं कर देते हैं, या लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी से या रजिस्ट्रार से इसके प्रतिकूल आदेश अभिप्राप्त नहीं कर लेते हैं तो, इसको आंका जाएगा और प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसरण में विक्रय किया जाएगा।

सन् 19 ----- के ----- तारीख को दिनांकित।

(हस्ताक्षरित) च छ

बेलिफ और अंकक

प्रति ग घ

घ

(धारा 64 देखिए)

----- के लघुवाद न्यायालय में

सूचना ग्रहण करें कि सन् ----- के ----- की -----
----- तारीख को प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 के अध्याय 8 के उपबंधों के अधीन अभिगृहीत जंगम संपत्ति का जिस अभिग्रहण और संपत्ति की सूचना और तालिका आप पर (या यथास्थिति, आपकी ओर से ----- पर) ----- तारीख को सम्यक्तः तामील की गई थी, हमने अंकन कर लिया है और यह कि उक्त संपत्ति ----- तारीख को (सूचना की तारीख के पश्चात् कम से कम दो पूर्ण दिन) ----- (स्थान) पर उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में विक्रय की जाएगी।

सन् 19 ----- के ----- की ----- तारीख को
दिनांकित।

(हस्ताक्षरित) च छ

ज झ

बेलिफ और अंकक

प्रति ग घ

ड

(धारा 66 देखिए)

----- के लघुवाद न्यायालय में

मकान-किराए के लिए करस्थम् में उद्ग्रहण की जाने वाली फीसों का मापमान

| राशि जिसके लिए वाद चलाया गया है | | शपथपत्र और करस्थम् का वारण्ट | | | विक्रय आदेश | | | कमीशन | | | योग | | |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|----|-----|-------------|----|-----|-----------|----|-----|-----|----|-----|
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| रु० | रु० | रु० | आ० | पा० | रु० | आ० | पा० | रु० | आ० | पा० | रु० | आ० | पा० |
| 1 और 5 से कम | | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5 और 10 से कम | | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 और 15 से कम | | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 15 और 20 से कम | | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 20 और 25 से कम | | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 25 और 30 से कम | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30 और 35 से कम | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 35 और 40 से कम | | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 40 और 45 से कम | | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| 45 और 50 से कम | | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 50 और 60 से कम | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 60 और 80 से कम | | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| 80 और 100 से कम | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 100 से अधिक | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 प्रतिशत | | | | | |

उपर्युक्त मापमान में सभी व्यय सम्मिलित हैं, जहां अभिधारी भू-स्वामी के दावे पर विवाद करता है और साक्षियों को सपीना करना पड़ता है उन वादों के सिवाय, उन दशाओं में 40 रुपए से कम की राशि के लिए प्रत्येक सपीने के लिए 4 आने की दर से संदाय किया जाना चाहिए और उस रकम से अधिक पर 12 आने ; और जहां करस्थम् संपत्ति के भारसाधन के लिए चपरासी रखे जाते हैं वहां प्रति व्यक्ति 4 आने प्रति दिन संदाय किया जाना चाहिए ।

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 72 देखिए)

समन और अन्य आदेशिकाओं के लिए फीस

| जब विषय वस्तु की रकम या मूल्य निम्नलिखित से अधिक है। | किन्तु निम्नलिखित से अधिक नहीं है | समन की फीस | अन्य आदेशिकाओं की फीस |
|--|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| रु० | रु० | रु० | रु० |
| 0 | 10 | 0 2 0 | 0 2 0 |
| 10 | 20 | 0 4 0 | 0 4 0 |

| जब विषय वस्तु की रकम या मूल्य निम्नलिखित से अधिक है। | किन्तु निम्नलिखित से अधिक नहीं है | समन की फीस | | | अन्य आदेशिकाओं की फीस | | |
|--|--------------------------------------|------------|----|-----|-----------------------|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | |
| रु० | रु० | रु० | आ० | पा० | रु० | आ० | पा० |
| 20 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 50 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 200 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 200 | 300 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 300 | 400 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 400 | 500 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 500 | 600 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 600 | 700 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 700 | 800 | 2 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 800 | 900 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 900 | 1000 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1000 | 1100 | 3 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| 1100 | 1200 | 3 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| 1200 | 1300 | 3 | 10 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| 1300 | 1400 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 1400 | 1500 | 3 | 14 | 0 | 12 | 8 | 0 |
| 1500 | 1600 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 1600 | 1700 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 |
| 1700 | 1800 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 1800 | 1900 | 4 | 6 | 0 | 14 | 8 | 0 |
| 1900 | 2000 | 4 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 |